न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 25/2024

बउनवान

हरिओम उम्र 59 साल पुत्र श्री भैरूलाल जाति महाजन निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां

अपीलांट

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राज. मुस्लिम वक्फ बोर्ड जयपुर जर्ये अलीमुद्दीन पुत्र अब्दुल बशीर जाति मुसलमान निवासी मांगरोल जिला बारां

रेस्पोडेन्ट्स

जिला कलैक्टर न्यायालय बारा (राज०)

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 3367 दिनांक 03.04.2024 तहसीलदार मांगरोल
अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

उपस्थितः 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री मोहम्मद रफीक कुरैशी अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट कम 2)**

निर्णय दिनांक 22.01.2025

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया अपीलाधीन इंतकाल निरस्त योग्य है। आराजी ख. न. 1412 का आवटंन राज. के राज्यपाल की ओर से अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मांगरोल जिला बारां द्वारा अपीलान्ट के पिता भैरूलाल पुत्र कन्हैयालाल उम्र 70 साल जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 5 मांगरोल को रूपये 1700/– अक्षरे एक हजार सात सौ रूपये शुल्क पर साइज 25 x 17 = 425 वर्ग फिट का दिनांक 20.11.2002 को किया गया है। उक्त दिनांक 20.11.2002 से उपरोक्त भूखण्ड पर पूर्व में अपीलांट के पिता व वर्तमान में अपीलांट काबिज है। तथा पक्की दुकान बनी हुयी है। जिसपर मिठाई नमकीन का व्यवसाय कर रहा है। निर्णय के द्वारा उक्त इंतकाल खोलना बताया गया है, जिसमें अपीलांट को पक्षकार ही बनाया नहीं गया। इस कारण भी 0.03 हैक्ट. का इंतकाल निरस्तनीय है। तहसील मांगरोल में वक्फ बोर्ड से संबंधित सादिक मोह. कानूनगो है जिसने सब तथ्यों की जानकारी को छुपाते हुए अपने अधीनस्थ पटवारी से गलत रिपोर्ट बनाकर पेश करवा दी है, उस समय भी अपीलांट को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। इस कारण से भी इंतकाल निरस्तनीय है। खसरा सं. 1412 में 25 x 17 = 425 वर्गफिट का भूखण्ड मांगरोल लीजडीड पर दिया गया है। जिसका पंजीयन उप पंजीयक मांगरोल में दर्ज दिनांक 20.11.2002 को किया गया है। अपीलांट की 22 वर्षों से अधिक समय से मौके पर दुकान बनी हुई है। यह तथ्य भी कानूनगो को पता था लेकिन तहसीलदार जी के समक्ष तथ्य को छुपाकर इंतकाल खुलवाया गया है, जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट के पास मात्र यही दुकान परिवार पालन के लिये है, यदि विवादित इंतकाल निरस्त नहीं किया गया है, अनावश्यक अन्य विवादो में उलझना पड़ेगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर इंतकाल नंबर 3367 दिनांक 3.04.2024 तहसील मांगरोल को ख. नं. 1412 रकबा 0.03 हैक्ट. की सीमा तक निरस्त किया जाने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर ... सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:22 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलांट के पिता को नगर पालिका मांगरोल द्वारा लीज पर आवंटित आराजी ख. न. 1412 में से भूखण्ड साइज 25 x 17 = 425 वर्ग फिट का दिनांक 20.11.2002 जिस पर अपीलांट की पक्की दुकान बनी हुई है बाबत खोला जाकर कब्रिस्तान दर्ज कर दिया गया है। अपीलांट की 22 वर्षों

से अधिक समय से मौके पर दुकान बनी हुई है। अपीलांट के पास मात्र यही दुकान परिवार पालन के लिये है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर इंतकाल नंबर 3367 दिनांक 3.04.2024 तहसील मांगरोल को ख. नं. 1412 रकबा 0.03 हैक्ट. की सीमा तक निरस्त फरमावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 2 ने कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण राजस्थान वक्फ अधिकरण, ज्योति नगर, जयपुर के वाद संख्या 56/2004 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 22.09.2011 की पालना हेतु प्रस्तुत इजराय की पालना में खोला गया है जिसे निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

नामान्तकरण कार्यवाही समरी ट्रायल एवं फिसकल कार्यवाही है जिसके माध्यम से किसी के हक अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रकरण में प्रश्नगत नामान्तकरण राजस्थान वक्फ अधिकरण, ज्योति नगर, जयपुर के वाद संख्या 56/2004 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 22.09.2011 की पालना हेतु प्रस्तुत इजराय की पालना में खोला गया है। न्यायालय डिक्री के आधार पर खोले गये नामान्तकरण को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.17 10:28:22 IST
Reason: SelfAttested